फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 54/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/58) **श्री भुपेशचन्द्र योगी व अन्य बनाम श्री रमेशचन्द्र योगी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.09.2023	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री एस.एल.बोहरा - वकील अपीलार्थी 2. श्री अशोक साहु - वकील प्रत्यर्थी-1 3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी-2 **अनवान** **1. श्री भूपेशचन्द्र योगी पिता स्व. आयस मगनमोहन नाथ योगी, 31/241, भिखारीनाथ जी मठ, भोपालपुरा, उदयपुर (राज.)** **2. श्री जितेन्द्र नाथ योगी पिता श्री भूपेशचन्द्र योगी, निवासी भिखारीनाथ जी मठ, भोपालपुरा, उदयपुर (राज.)** **3. श्री सत्येन्द्र नाथ योगी पिता श्री भूपेशचन्द्र योगी, निवासी भिखारीनाथ जी मठ, भोपालपुरा, उदयपुर (राज.)** **4. श्री कमलेन्द्र नाथ योगी पिता श्री भूपेशचन्द्र योगी, निवासी भिखारीनाथ जी मठ, भोपालपुरा, उदयपुर (राज.)** **अपीलार्थी** **1. श्री रमेशचन्द्र पिता स्व. मगनमोहन नाथ योगी, निवासी भिखारीनाथ जी मठ, भोपालपुरा, उदयपुर (राज.)** **2. सरकार जरिये तहसीलदार, कपासन** **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार, कपासन, बप्रकरण संख्या 09/2022 निर्णय दिनांक 24.06.2022 (अनवान रमेशचन्द्र बनाम भूपेशचन्द्र योगी व अन्य)** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 29.09.2023 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय तहसीलदार, कपासन, बप्रकरण संख्या 09/2022 निर्णय दिनांक 24.06.2022 (अनवान रमेशचन्द्र बनाम भूपेशचन्द्र योगी व अन्य) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- • वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 श्री रमेशचन्द्र उर्फ रमेशनाथ योगी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कपासन समक्ष नामान्तरकरण खोलने बाबत एक आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि उसके पिता गुरू मगनमोहन नाथ चेला गंगानाथ जाति नाथ भूतपूर्व जागीरदार सियालपुरा मानपूरा भिखारीनाथ जी का मठ (आसन) भूपालपूरा उदयपुर के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी मौजा ग्राम नारिया पटवार हल्का पाडोली तहसील कपासन के हल्के बेरूनी में स्थित है, जिसके हाल आराजी नम्बर 167, 173, 174, 193, 196, 2, 223, 224, 226, 228, 229, 3, 823/3, 826/176, 922/226, 958/3, 972/34, 974/173, 977/226 कुल किता 19 रकबा 11.63 हैक्टेयर स्थित है, जो उसके गुरू पिता गुरू मगनमोहन नाथ चेला गंगाराम के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजीयात है। उसके गुरू मगनमोहन नाथ का दिनांक 10.09.2013 को देहावसान हो चुका है तथा उसके पिता गुरू मगनमोहन नाथ का एक मात्र उत्तराधिकारी शिष्य हूँ, उसके अलावा कोई उत्तराधिकारी शिष्य नहीं है तथा उसके पिता गुरू मगनमोहन नाथ द्वारा दिनांक 26.12.2013 को चेला उत्तराधिकारी नियुक्त विलेख पंजीयन करवाया गया है, अतः उसके नाम विरासत से चेला उत्तराधिकारी के अनुसार नामान्तरकरण खोले जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।	

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 54/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/58) **श्री भुपेशचन्द्र योगी व अन्य बनाम श्री रमेशचन्द्र योगी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	• तहसीलदार, कपासन द्वारा प्रकरण दर्ज कर निर्णय दिनांक 24.06.2022 से उक्त चेला उत्तराधिकारी नियुक्त विलेख अनुसार नाथ परम्परा अनुसार रमेशचन्द्र उर्फ रमेशनाथ योगी पिता गुरू आयस मगनमोहन नाथ के नाम गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दर्ज किये जाने का आदेश प्रसारित किया। उक्त आदेश दिनांक 24.06.2022 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा समक्ष उक्त अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की। प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 22.09.2023 को अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित, जिनकी बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी-1 द्वारा दौरान बहस लिखित बहस भी प्रस्तुत की जिसकी प्रति दौनों अधिवक्ता द्वारा एक दुसरे को उपलब्ध कराई गई। **विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए लिखित बहस एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है** कि अपीलार्थी संख्या 2, 3,4 द्वारा वसीयत के आधार पर उक्त जमीन में से 4.78 हैक्टेयर भूमि अपीलार्थी के खाते में दर्ज कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में निवेदन किया था और वसीयत के संबंध में स्वयं के शपथ पत्र दिनांक 18.10.2021 को पेश किये थे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उस कोई आदेश पारित नहीं करते हुए चेला उत्तराधिकार विलेख के आधार पर आदेश पारित कर दिया। अपीलार्थीगण के आवेदन पर पटवारी द्वारा जानबुझकर लम्बे समय तक कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय अपीलार्थीगण के आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं कर प्रत्यर्थी से मिलीभगत कर एक अविधिक आदेश पारित कर दिया गया। दैनिक एक्सप्रेस में उजरदारी प्रस्तुत होने पर अपीलार्थीगण द्वारा उनके हक में निष्पादित वसीयत को अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयत के गवाहान का वसीयत से इन्कार करने एवं पारिवारिक समझौता बटवारा को अमान्य करते आदेश पारित कर दिया गया जबकि वसीयतग्रहिता अपीलार्थीगण द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर वसीयत निष्पादन किये जाने के साक्ष्य दिये। यह कार्यवाही विवादित है तथा डिस्प्युटेड होने से दोनों पक्षों को साक्ष्य ली जाना आवश्यक होते हुए भी अपीलार्थी को साक्ष्य सुबत का कोई अवसर दिये बिना आदेश पारित कर दिया गया। कथित भूमि में से 4.7800 हैक्टेयर भूमि पर अपीलार्थीगण की हिस्से की भूमि होकर उस पर वसीयत के आधार पर कब्जा काश्त हैं। प्रकरण में पटवारी हल्का द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई है, वह जानबुझकर देरी से एवं मनमकसुद तरीके से तैयार की गई है। प्रत्यर्थी को लाभ पहुंचाने के इरादे से तैयार की गई है, जो अवैधानिक होकर रेकार्ड के विपरित होकर काबिल निरस्त के है। आवेदन की गई भूमि ग्राम नारिया पटवार हल्का पानडोली, तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ के खाता संख्या 183 के कुल किता 19 कुल रकबा 11.63 है. स्व. मगनमोहननाथ पिता जालमनाथ योगी की पेतृक अथवा स्वअर्जित भूमि नहीं है बल्कि उक्त भूमि मनमोहननाथ योगी की सियालपुरा मानपुरा जागरी के आयस स्व. गंगानाथ योगी के शिष्य नियुक्त होने के कारण स्व. मनमोहननाथ गुरू गंगानाथ साकिन सियालपुरा मानपुरा के नाम से दर्ज हुई जबकि वास्तविकता यह कि गोदपुत्र के आधार पर मगनमोहननाथ के नाम पर दर्ज हुई तथा जागीर रिजम्पशन के बाद जो जमीन इस प्रकार दर्ज होती है वह मगनमोहन जी के पास जो जायदाद थी वह उनकी व्यक्तिगत जायदाद मानी जावेगी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस सम्पत्ति को मगनमोहन जी की व्यक्तिगत या मौरूसी सम्पत्ति नहीं मानते हुए केवल गुरू शिष्य के कारण प्राप्त सम्पत्ति जागीरी की मानते हुए जो आदेश पारित किया है, वह निरस्त योग्य है। इस प्रकरण में विवादित भूमि के संबंध में अदालत डिप्टी कलक्टर (जागीर) उदयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 14.06.1971 को निर्णय पारित करते हुए राजस्थान जागिरी पुर्नग्रहण एक्ट की धारा-23 के तहत विवादित भूमि को श्री गंगानाथ की निजी सम्पत्ति धोषित की गई और इस निर्णय को कभी कोई चुनौती नहीं दी जिससे यह निर्णय अंतिम होकर विवादित भूमि मठ की न होकर श्री गंगानाथ की निजी सम्पत्ति हो गई जो श्री मगनमोहननाथ को गोदपुत्र होने के नाते मिली, और उनके देहावसान के उपरान्त उक्त भूमि सभी वारिसान के नाम दर्ज होनी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 54/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/58) **श्री भुपेशचन्द्र योगी व अन्य बनाम श्री रमेशचन्द्र योगी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

थी जो नहीं की गई। जागीर रिजम्पशन के बाद चेला कायम करने का कोई कानून नहीं है तथा इसके बाद उत्तराधिकारी हमेशा हिन्दु लॉ के अनुसार होते है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने उत्तराधिकारी यानि चेला कायम करने का रजिस्टर्ड दस्तावेज होने के कारण सही मानकर जो आदेश दिया है, वह बिल्कुल गलत होकर काबिल निरस्त के है। इस मामलें में खातेदारी अधिकार देने का कोई प्रार्थना पत्र नहीं होते हुए भी खातेदारी अधिकार दे दिये गये जबकि खातेदारी अधिकार के संबंध में एसडीओ कोई में प्रकरण लम्बित है। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार कपासन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.06.2022 को निरस्त किया जानका मनमोहननाथ के सभी वारिसान के नाम पर उक्त जमीन का म्यूटेशन किया जावें जिसमें मगनमोहननाथ के लड़के, लडकियां सभी बराबर के हकदार होगें तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-8 के अनुसार मनमोहननाथ जी के सभी वारिसान के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये-

1. आरआरडी 1995 पेज 191
2. आरएलडब्लयु 1977 पेज 13
3. आरएलडब्लयु 1991(2) पेज 47

विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 ने लिखित बहस एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त प्रकरण में भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा-135(2) व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-30(2) के अंतर्गत संपूर्ण मामलें की जांच करते हुए निर्णय पारित किया गया है जो पूर्णतः विधिक प्रावधानों के अनुकूल होकर पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर आपत्तियां आमंत्रित करने के उपरान्त नामान्तरकरणद तस्दीक किया गया, जिसमें कोई हस्तक्षेप की आवश्कता नहीं है। नामान्तरकरण पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर स्वीकृत किया गया, जिसे किसी सक्षम न्यायालय से निरस्त कराये बिना नामान्तरकरण को निरस्त नहीं कराया जा सकता है। उक्त सम्पत्ति मठ की संपत्ति होकर गुरू शिष्य परम्परा से अंतरण होती आई है। तहसीलदार कपासन द्वारा तहसीलदार गिर्वा से रिपोर्ट तलब की गई और रिपोर्ट प्रत्यर्थी की पक्ष में प्रस्तुत किये जाने पर उसके हक में नियमानुसार नामान्तरकरण पारित किया गया। तहसीलदार कपासन द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का स्पष्ट उल्लेख अपने निर्णय में अंकित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत वसीयत एवं पारिवारिक बटवारा नामा को तहसीलदार कपासन द्वारा जांच उपरान्त प्रभावहीन माना है, जिसके संबंध में भी निर्णय में अंकन किया गया है। प्रकरण में दिनांक 26.04.2022 को भूपेशचन्द्र योगी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें आधारभूत साक्ष्य नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर फाइल किया गया। दिनांक 15.06.1974 को निष्पादित चेलानाम पंजीकृत नहीं होने से अस्वीकार किया गया। विवादित भूमि स्व. मनमोहननाथ की पेतृक अथवा स्वअर्जित भूमि नहीं है बल्कि उक्त भूमि श्री मगनमोहन नाथ के योगी नाथ संप्रदाय में भिखारीनाथ जी का मठ भूपालपुरा उदयपुर के आयस स्व. श्री गंगानाथ के शिष्य नियुक्त होने कारण स्व. श्री मगनमोहननाथ गुरू गंगानाथ के नाम दर्ज हुई जो गुरू शिष्य परम्परा अनुसार प्राप्त हुई। सांसारिक वारिसान/पैतृक वशांनुगत प्राप्त नहीं हुई। अंत में अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलाधीन निर्णय असंदिग्ध विधिक आधारों पर होकर उसके किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, ऐसें में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को सव्यय खारिज फरमाया जावें। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्लयु 2008(2) आरजे पेज 825, एआईआर 1955 राजस्थान 135 एवं एआईआर 1982(एनओसी) 155 (मद) प्रस्तुत किया

राजकीय पेरोकार द्वारा प्रकरण को पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर गुणावगुण निस्तारित किये जाने का अनुरोध किया।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 54/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/58) **श्री भुपेशचन्द्र योगी व अन्य बनाम श्री रमेशचन्द्र योगी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान परिशीलन किया गया। दौराने कार्यवाही, अधिवक्ता पक्षकारान ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा-151 जादी का प्रस्तुत किये। प्रस्तुत दस्तावेज राजकीय विभागों से जारी किये गये दस्तावेज है। राजस्व अभिलेखों के अनुसार जारी दस्तावेज व राजकीय विभागों के दस्तावेजों की सत्यता पर भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। अतः प्रस्तुत दस्तावेज अभिलेख पर लिये जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि वर्तमान अपील के प्रत्यर्थी-1 श्री रमेशचन्द्र उर्फ रमेशनाथ योगी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, कपासन समक्ष नामान्तरकरण खोलने बाबत एक आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि उसके पिता गुरू मगनमोहन नाथ चेला गंगानाथ जाति नाथ भूतपूर्व जागीरदार सियालपुरा मानपूरा भिखारीनाथ जी का मठ (आसन) भूपालपूरा उदयपुर के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी मौजा ग्राम नारिया पटवार हल्का पाडोली तहसील कपासन के हल्के बेरूनी में स्थित है, जो उसके गुरू पिता गुरू मगनमोहन नाथ चेला गंगाराम के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजीयात है। उसके गुरू मगनमोहन नाथ का दिनांक 10.09.2013 को देहावसान हो चुका है तथा उसके पिता गुरू मगनमोहन नाथ का एक मात्र उत्तराधिकारी शिष्य हूँ, उसके अलावा कोई उत्तराधिकारी शिष्य नहीं है तथा उसके पिता गुरू मगनमोहन नाथ द्वारा दिनांक 26.12.2013 को चेला उत्तराधिकारी नियुक्त विलेख पंजीयन करवाया गया है, अतः उसके नाम विरासत से चेला उत्तराधिकारी के अनुसार नामान्तरकरण खोले जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। तहसीलदार, कपासन द्वारा प्रकरण दर्ज कर निर्णय दिनांक 24.06.2022 से उक्त चेला उत्तराधिकारी नियुक्त विलेख अनुसार नाथ परम्परा अनुसार रमेशचन्द्र उर्फ रमेशनाथ योगी पिता गुरू आयस मगनमोहन नाथ के नाम गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दर्ज किये जाने का आदेश प्रसारित किया। जिससे व्यथीत होकर अपीलार्थीगण द्वारा हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई। अधिवक्तागण पक्षकारान की लिखित बहस, अपील मेमों में अंकित तथ्यों एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से विवाद का प्रमुख प्रश्न विवादित भूमि का मठ की सम्पत्ति होना या श्री मगनमोहननाथ की व्यक्तिगत सम्पत्ति माना जाना है। इस हेतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया और यह जाहिर हुआ है कि पत्रावली पर राजस्थान जागीर पुर्नग्रहण एवं भूमि सूधार 1952 की धारा-23 के तहत निजी सम्पत्ति धोषित करने बाबत प्रार्थना पत्र, डिप्टी कलक्टर-जागीर, उदयपुर द्वारा जारी उजरदारी नोटिस एवं डिप्टी-कलक्टर-जागीर, उदयपुर द्वारा निजी सम्पत्ति घोषित किये जाने वाला निर्णय दिनांक 14.06.1971 उपलब्ध है। उक्त दस्तावेजों के अवलोकन के यह प्रकट होता है कि श्री गंगानाथ जी द्वारा उनके गुरू की सम्पत्ति जो उनके अधिकार से मालिक व काबिज होने के कारण धारा-23 राजस्थान जागीर पुर्नग्रहण एवं भूमि सूधार 1952 के तहत निजी सम्पत्ति घोषित कराने बाबत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.01.1955 को तहसीलदार गिर्वा समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त पत्र पर कोई कार्यवाही तत्समय नहीं होने पर, एक्स जागीरदार आयस श्री गंगानाथ द्वारा दिनांक 05.1.1955 को तहसील गिर्वा में अपनी निजी सम्पत्ति की दरख्वास्त मय सूची पेश की थी, डिप्टी कलक्टर-जागीर, उदयपुर द्वारा जारी उजरदारी नोटिस दिनांक 06.04.1971 को जारी किया गया, जिस पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने पर एक्स जागीरदार आयस श्री गंगानाथ उक्त सम्पत्तियां उनकी निजी सम्पत्तियां घोषित की गई। उक्त निर्णय को कोई चुनौती दी गई हो या कोई अपील दायर की गई हो, ऐसा कोई दस्तावेज न तो पत्रावलियों पर उपलब्ध है और न ही किसी पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत किया गया। ऐसे में यह माना जाता है कि उक्त निर्णय अंतिम होकर विवादित भूमियां श्री गंगानाथ जी की निजी सम्पत्ति थी, न की भिखारीनाथ मठ की सम्पत्ति है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालाय की पत्रावली पर दो जमाबंदी नामान्तरकरण संख्या 377 एवं 375 उपलब्ध है, जिसमें की विवादित भूमियों	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 54/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/58) **श्री भुपेशचन्द्र योगी व अन्य बनाम श्री रमेशचन्द्र योगी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निजी खातेदारों यानि श्री गंगानाथ एवं उसके उपरान्त श्री मगनमोहननाथ के नाम गैर खातेदारी के रूप में दर्ज है, न की भिखारीनाथ मठ के नाम से दर्ज है। अतः यह तो स्पष्ट है कि विवादित भूमि निजी खातेदारी की भूमि है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर एक रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 20.03.1971 उपलब्ध है, जिसके अनुसार श्री गंगानाथ जी द्वारा श्री मनमोहननाथ को चेला (दत्तक पुत्र) रखा और अंकन किया कि ''गृहस्थी जिसका प्रकार दत्तक पुत्र रखते है, उसी प्रकार मैं मगनमोहन को चेला (दत्तक पुत्र) रखता हूँ और जो हक व अधिकार दत्तक पुत्र को प्राप्त होते है, वे सब व अधिकार श्री मगनमोहन नाथ को प्राप्त हो गये है, आज से मगनमोहन नाथ श्री जालम नाथ का पुत्र न कहलाकर मेरा चेला (दत्तक पुत्र) कहलायेगा। गृहस्थी में जिस प्रकार पिता की मृत्यु के बाद दत्तक पुत्र को जो हक व अधिकार चल व अचल सम्पत्ति के संबंध में प्राप्त होते है, वे सब अधिकार मेरे बाद श्री मगन मोहन नाथ को प्राप्त होगें।''

उक्त अंकन से यह प्रकट होता है कि श्री गंगानाथ की निजी सम्पत्ति, विवादित भूमि, उनके बाद श्री मगनमोहन नाथ की व्यक्तिगत एवं पेतृक सम्पत्ति मानी जावेगी और अपने पिता की सम्पत्ति में जन्म से ही पुत्र व पुत्रियों का हक निहित होता है, जिसके संबंध में न ही किसी एक के पक्ष में वसीयत, गोदनामा इत्यादि मय चेलानामा निष्पादित कर समस्त सम्पत्ति उसके नाम की जा सकती है। इस न्यायालय का मत है कि अपने पिता के पास की पैतृक भूमि में संतान को जन्म से ही और उसके पिता के जीवनकाल में ही अधिकार प्राप्त हो जाते है और वह उस पैतृक भूमि में अपने हक/विभाजन की मांग कर सकता है।

2003 (1) RRT 650 में मण्डल की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रकरण उनवानी जेठू बनाम भंवरसिंह व अन्य में स्पष्ट मत इस प्रकार से व्यक्त किया है-

"Rajasthan Land Revenue Act, 1956- Sec. 135- Mutation Proceeding – Fiscal entries like mutation does not represent or create any title or interest in the property, nor the complicated issue of succession, either by way of Will of adoption can be settled in mutation proceedings and the parties have to approach the appropriated forum for adjudication of title."

उक्तानुसार जहां प्राकृतिक वारिसान व वसीयती/चेलानामा के आधार पर वारिस के मध्य विवाद हो, वहां नियमित वाद में वसीयत/गोदनामा इत्यादि साबित करना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय समक्ष वसीयत, बटवारानामा व चेलानामा इत्यादि के संबंध में सम्बन्धित पक्षकारान द्वारा अपनी अपनी आपत्ति एवं एतराज प्रस्तुत किये थे और इस न्यायालय समक्ष वही उजरात पुनः प्रस्तुत किये है। अतः इस प्रकरण में प्राकृतिक वारिसान एवं वसीयत, बटवारानामा व चेलानामा इत्यादि में अंकित वारिसान के मध्य विवाद था, जो नियमित वाद में ही साबित किया जा सकता है।

नामान्तरकरण जैसी सरसरी कार्यवाही में वसीयत अथवा गोद जैसे जठित प्रश्नों का निस्तारण नहीं किया जा सकता। वसीयत अथवा गोद के बिन्दू साक्ष्य के आधार पर नियमित वाद में ही निर्णीत किये जा सकते हैं। इस संबंध में आर.बी.जे. (10) 2003 पेज 466 में माननीच राजस्थान उच्च न्यायालय ने निम्न सिद्वान्त प्रतिपादित किया है:-

Rajasthan Land Revenue (Land Records) rules 1957- :Rule 119- Fiscal entries like mutation, do not create any title or interest in the property Issue of succession either by Will or adoption cannot be settled in mutation proceedings.

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2003 (1) आरआरटी पृष्ठ 650 में यह मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि नामांतरणकरण कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नहीं करती है, सम्पत्ति में ना ही उत्तराधिकार का कठिन विवाद्यक वसीयत या गोद द्वारा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 54/2022 राजस्व (जीसीएमएस/2022/58) **श्री भुपेशचन्द्र योगी व अन्य बनाम श्री रमेशचन्द्र योगी व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नामान्तरकरण कार्यवाहियों में निश्चय किया जा सकता है पक्षकारों को स्वामित्व स्थापित करने के लिये उचित संस्थान में जाना होगा। 2005(1)पृष्ठ 630 में मण्डल की एकलपीठ में यह अभिनिर्धारित किया है कि नामांतरकरण की कार्यवाही सरसरी कार्यवाही है तथा स्वत्व अथवा हित संपत्ति में सृजित नहीं होते । जटिल प्रश्न भी निर्णित नहीं किये जा सकते ।

उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन करने पर यह स्थिति उभरकर सामने आती है कि इस प्रकरण में प्राकृतिक वारिसान एवं वसीयत, बटवारानामा व चेलानामा इत्यादि में अंकित वारिसान के मध्य विवाद था, जो नियमित वाद में ही साबित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा श्री रमेशचन्द्र उर्फ रमेशनाथ योगी के आवेदन को स्वीकार कर चेलानामा के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने का जो आदेश दिनांक 24.06.2022 पारित किया है, वह उपरोक्त विधिक स्थिति में परिपेक्ष्य में न्यायोचित नहीं होने से निरस्तनीय है। इसके अतिरिक्त यह भी लेख किया जाना आवश्यक है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण के आवेदन पर अपने अविधिक निर्णय के जरिये प्रत्यर्थी-1 को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये जबकि इस संबंध में सक्षम न्यायालय में खातेदारी हेतु पृथक से वाद विचाराधीन था जिसमें वह स्वयं पक्षकार है। ऐसे में भी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

1997 आर.आर.डी. 168 ''हीरालाल बनाम केसरीया वगैरहा'' :- इस मामले में राजस्व मण्डल द्वारा मत प्रतिपादित किया गया है कि उत्तराधिकार (succession) कभी भी स्थगन (abeyance) में नहीं रहता है तथा एक व्यक्ति की मृत्यु होते ही उसकी सम्पत्ति का उसके वैध वारिसान में न्यागमन (devolution) हो जाता है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनिमय के तहत मृतक के सभी वारिसान का नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना जाता है। इस प्रकरण में श्री मगनमोहन नाथ के पुत्र (अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण) व अपीलार्थी की बहस में अंकित पुत्रियां होना निर्विवादित होना प्रमाणित है व वह प्रथम श्रेणी के वारिस है, इसलिए श्री मगनमोहननाथ की उपरोक्त विवादित भूमियों का विरासत का नामान्तरकरण उसके नाम स्वीकृत किया जाना उपरोक्त विधिक परिपेक्ष्य में अपेक्षित है। उपर्युक्त विवेचन के अनुसार विवादित अपंजीकृत वसीयतनामा, पारिवारिक बटवारानामा एवं विवादित चेलानामा के आधार पर नामान्तरकरण तसदीक नहीं किया जा सकता है। प्रत्यर्थी को चाहिये कि वह इसे साबित करवाने के लिये सक्षम न्यायालय में नियमित वाद खातेदारी घोषणा बाबत विहित प्रावधानों के तहत प्रस्तुत करे।

दौराने अपीलीय कार्यवाही, अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत उपरोक्त विधिक स्थिति के समर्थन में होने से चस्पा होते है और अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त तथ्यों की भिन्नता एवं वर्तमान प्रकरण में परिलक्षित विधिक स्थिति के विपरित होने से चस्पा नहीं होते है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार **अपील अपीलान्ट स्वीकार** की जाती है। तहसीलदार, कपासन द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.06.2022 निरस्त/अपास्त किया जाकर श्री मगनमोहन नाथ की उपरोक्त आराजीयात का विरासत नामान्तरकरण उनके सभी विधिक वारिसान के नाम स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(महावीर खराड़ी, R.A.S.)
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर